पुनर्वास नीति रूपरेखा

झारखंड म्यूनिसिपल डेवलपमेंट परियोजना (जेएमडीपी)

पुनर्वास नीति रूपरेखा

१.१ परिचय

१. झारखंड म्यूनिसिपल डेवलपमेंट परियोजना (जेएमडीपी) को झारखंड के चुने हुए शहरों में म्यूनिसिपल संरचना को सुधारने के लिये सूचीबद्ध किया गया है। परियोजना भारत की विकास योजना के द्वारा सहयोजित है, जैसा कि 12वीं योजना (2012–17) के साथ रेखांकित है, जो कि तेज़, सतत और समावेशी विकास को सुनिश्चित करता है। जेएमडीपी का प्रस्तावित परियोजना डेवेलपमैंट आबजेक्टिव (पीडीओ) 1 शहरी सेवा आपूर्ति और भागीदार यूएलबी में शहरी प्रबंधन क्षमता को सुधारने के लिये है। उद्देश्य को प्राथमिक संरचनागत सुधारों और शहरी नीतियों, योजना और राजस्व बड़े स्तर के सुधार के ज़रिये हासिल किया जायेगा। सब–परियोजनाओं का चुनाव निवेशों की तकनीकी, वातावरणीय, सामाजिक और निवेशों की वित्तीय निरंतरता पर आधारित होगा।

२. आरपीएफ किसी भी पुनर्वास और विस्थापन को संबोधित करने के लिये निर्देषों को शामिल करता है जो परियोजना में उठ सकते हैं और परियोजना द्वारा प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) पर असर डालता है। इस नीति को उचित मुआवजा और भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए भूमि विस्थापन और पुनर्वास एक्ट, 2013 और भारत सरकार और झारखंड सरकार के अनुवर्ती परिशिष्ट और विश्व बैंक की अनैच्छिक पुनर्वास से संबंधित कार्य सबंधी नीति 4.12 के अंतर्गत विकसित किया गया है।

१.२ नियम और उद्देश्य

३. पुनर्वास नीति रूपरेखा का उद्देश्य प्रभावित आबादी के अनैच्छिक पुनर्वास सरीखे समाजिक कुप्रभावों को दूर करने व कम करने के नियमों का समूह स्थापित करने के लिये है। सामाजिक प्रभावों की प्रकृति और परिणाम को सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) के द्वारा किया जाता है। पुनर्वास कार्यवाही योजना (आरएपी) एसआईए के आधार पर तैयार किया जायेगा और कुप्रभावों को कम करने के लिये लागू किया जायेगा और उनके मौजूदा जीवन स्तर को सुधारने या बनाये रखने के लिये प्रभावित लोगों का सहयोग भी किया जायेगा। आरएपी में मौजूद विशेष पैमानों को परियोजना के जीवन चक्र में विभिन्न सत्रों पर लागू किया जायेगा जो निर्माण से पहले, निर्माण के दौरान और निर्माण के बाद में हो सकता है। आर्थिक और समाजिक बुरे प्रभावों की व्यापक श्रेणी हैं:

क) भूमि की क्षति या संरचना की क्षति

ख) आय की क्षति या जीवन यापन के साधन

ग) सांझी संपत्ति के स्रोतों की क्षति

४. पहली दो श्रेणियां एक परिचित आबादी पर सीधे प्रभावों को दर्शाती है। प्रभावित हुए ज्यादातर लोगों का सर्वे किया जायेगा और पंजीकृत किया जायेगा, और परियोजना का निर्देशन और मूल्यांकन आधारभूत सामाजिक–आर्थिक आंकड़ों की तुलना में दूरगामी प्रभावों की तुलना करेगा।

५. तीसरी श्रेणी एक समूह प्रभाव को दर्शाता है। जहां फायदा एंव नुकसान समूह अनुकूल होता है जिसे व्यक्तिगत प्रभाव पर आकलन नहीं किया जाता है।

६. इस परियोजना की पुनर्वास और पुनर्वास नीति राज्य, देश और विश्व बैंक की सुरक्षा नीति पर निर्भर करती है। विश्व बैंक की कार्यवाही नीति 4.12 स्पष्ट दर्शाती है किः

क) अनैच्छिक पुनर्वास सभी कानूनी वैकल्पिक परियोजना रचना को तलाशते हुए, वहां टाला जाना चाहिये जहां संभव हो, या धीमा करना चाहिये।

ख) जहाँ यह संभव न हो कि पुनःस्थापन, पुनर्वास गतिविधियों को रोका ना जा सके, परियोजना के द्वारा विस्थापित व्यक्ति का परियोजना के फायदों में हिस्सा सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त निवेश स्रोतों को मुहैया करते हुए, सतत विकास कार्यक्रम की तौर पर ध्यान में लाना चाहिये और लागू किया जाना चाहिये। विस्थापित व्यक्ति से सार्थक तौर पर सलाह लेनी चाहिये और नियोजन और पुनर्वास कार्यक्रमों में शामिल होने के लिये मौका होना चाहिये।

ग) विस्थापित व्यक्ति की अपनी जीवनचर्या सुधारने के लिये और जीवन को सुधारने के लिये या सही शब्दों में, विस्थापन से पहले के स्तर तक या परियोजना के कार्यन्वयन की शुरूआत से पहले मौजूद स्तर, जो सबसे उंचा हो, तक, कम से कम उसको पुनःस्थापित करने के लिये किये जाने वाले उनके प्रयासों में सहयोग किया जाना चाहिये।

७. नीति का उद्देश्य सब–परियोजना के लिहाज से प्रभावित व्यक्ति को इस तरीके से पुनःस्थापित और पुनर्वासित करना है कि वह बुरे प्रभावों से पीड़ित न हो और उसके पूर्ववर्ती जीवन स्तर में सुधार हो या कम से कम उसका पूर्ववर्ती जीवन स्तर, कमाने की क्षमता और उत्पादन स्तर बना रहे। यह जुडको, झारखंड सरकार का एक प्रयास भी है कि पुनर्वास निर्भरता को कम करें और सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत तौर पर स्थिर बनाये। हाशियागत और क्षतिग्रस्त समूहों के जीवन स्तरों में सुधार करने के लिये खास ध्यान दिया जायेगा।

८. अगर वहाँ भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है, अधिग्रहित की जाने वाली ज़मीन और संपत्ति का कब्जा लेने से पहले, सभी मुआवज़े, पुनर्वास और पुनर्वास इस नीति के मुताबिक कर दिया जायेगा। 20 पीएएच (परियोजना से प्रभावित परिवार) की तरह एक महत्वपूर्ण जन/समूह के विस्थापन के मामले में, पुनर्वास की जगह को यूएलबी के सहयोग में प्रोजेक्ट के एक हिस्से के तौर पर विकसित किया जायेगा। ऐसी हालतों में ध्यान रखा जाना चाहिये ताकि विस्थापन का सामाजिक, आर्थिक और वातावरण पर कोई बुरा प्रभाव न हो, कम से कम हो, इस तरह के प्रभावों को कम करने के लिये आरएपी प्रदत विशेष सावधानियां बरती जानी चाहिये।

९. पुनर्वास और पुनर्वास एक्शन प्लान के कार्यान्वयन को परियोजना के तहत संचालित होने वाले किन्हीं असैनिक कार्यों के साथ–साथ किया जाना चाहिये। प्रोजेक्ट यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी असैनिक कार्य प्रभावित आबादी को इस नीति के अनुसार मुआवज़ा और आर्थिक सहयोग अदा किए जाने से पहले शुरू नहीं होना चाहिए।

१०. यह नीति इस बात को इंगित करती है कि अनैच्छिक पुनर्वास पूर्ववर्ती उत्पादन और जीवनचर्या और जीने की तरीके को बेतरतीब कर देता है। फलस्वरूप, इस तरह का पुनर्वास कार्यक्रम कल्याण की पहुँच रखने की बजाय विकास कार्य संबंधी पहुँच रखता है। ये दिशा–निर्देश प्रॉजेक्ट के दौरान पीएपी के घरों और रोज़गार पुनर्वास के लिए दी जानी वाली सहायता का विस्तृत वर्णन करते हैं।

११. पुनर्वास और कार्यान्वयन से संबंधितों कोई सूचना सभी सबंधितों को दी जाती है और नियोजन और कार्यान्वयन में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

१.३. पुनर्वास के लागू नियम

१२. निम्न तालिका इन नियमों की प्रासंगिकता पर संक्षेप विचार प्रस्तुत करती है।

तालिका ४७: जेएमडीपी के लिये देश और विश्व बैंक कार्यान्वित नीति में प्रासंगिक नियम

नियम	संभावना	प्रोज्यता
राष्ट्रीय नियम (भारत सरकार)		
भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्वास काननू, 2013	एक्ट वर्धित मुआवज़े और सहयोगी उपाय मुहैया करता है और एक परियोजना से प्रभावित व्यक्ति से व्यवहार में ज्यादा सलाहकार और भागीदारी वाली पहुंच अख़्तयार करता है। यह किरायदारों और हिस्सेदारों के हक को पहचानता है।	चूंकि संभावित सब–परियोजना में भूमि अधिग्रहण की जरूरत पड़ सकती है। इस लिए यह कानून लागू होगा। परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिये उपयुक्त पुनर्वास कार्यवाही विकसित करनी होगी।
सड़क विक्रेता (जीवनचर्या और सड़क पर बिक्री के नियमन की सुरक्षा) एक्ट, 2014	एक्ट का मकसद शहरी सड़क विक्रेताओं के अधिकारों की सुरक्षा करना है और सड़क पर बिक्री गतिविधियों का नियमन करना है। यह सड़क विक्रेताओं के लिये सर्वे, निष्काषन या जगह को बदलना; बिक्री के लिये प्रमाणपत्र की निश्चितता मुहैया करवाता है; सड़क विक्रेताओं के अधिकारों और निर्देषों; सड़क विक्रेताओं योजनाओं के विकास; इस एक्ट के तहत अधिकारों को हासिल करने के योग्य बनाने के लिये	सब परियोजना सड़क विक्रेताओं, कियोस्कों और हॉकरों पर असर डालते हैं। इन विक्रेताओं/हॉकरों की एक जनगणना की जाती है और आवश्यक पुनर्वास/पुनर्वास उपाय, निर्माण शुरू किये जाते हैं।

	सड़क विक्रेताओं को क्षमता निर्माण कार्यक्रम को संगठित करते हुए, मुहैया करवाता है।	
अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन के अधिकारों की पहचान) एक्ट, 2008	एक्ट वनवासी अनुसूचित जातियों और अन्य रिवायती वनवासियों, जो पीढ़ियों से इन वनों में रहते हैं, पर उनके अधिकारों को जाना नहीं जा सका है, अधिकारों और वन के पेशों को पहचानने और समाहित रखने के लिये अधिनियमित किया गया है। यह एक्ट न सिर्फ किसी व्यक्ति या निवास–स्थान के सांझे पेशे या रोज़गार के लिये खुद–खेती के लिये अंतर्गत वन भूमि को जीने के और वहां बने रहने के अधिकार को स्वीकार करता है, पर वन से संबधित अन्य अनेकों स्रोतों जो, सदैव, स्वामित्व के अधिकार, एकत्र करने और इस्तेमाल करने की पहुंच और वन के छोटे उत्पादों का निपटारा करने, समुदाय के अधिकारों, वगैरह को शामिल करता है।	यह कानून लागू होगा चूंकि संभावित सब–प्रॉजेक्ट में भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता हो सकती है और इससे वनवासी अनुसूचित जनजातियों और दूसरे रिवायती वनवासी समुदायों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। वर्तमान में 5 उप–परियोजना में वनवासी अनुसूचित जनजाति और दूसरे रिवायती वनवासी समुदाय मौजूद नहीं हैं।
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार) एक्ट, 1996 (पीएएसए एक्ट 1996)	भारत में अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये ग्राम सभा के तहत स्व–प्रशासन को सुनिश्चित करना। भूमि अधिग्रहण के लिये संबधित ग्राम सभा या पंचायत की सहमति पीईएसए एक्ट 1996 के तहत ली जाती है।	झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र अनुसूची–(पांच) क्षेत्र के तहत आते है और संभावित उप–परियोजनाओं में वहां भूमि अधिग्रहण की संभावना है इस लिये यह एक्ट कार्यान्वित है। वर्तमान में पहचाने गये 5 उप–परियोजनाो को अनुसूची–(पांच) क्षेत्र में नहीं आते हैं।
राज्य के नियम (झारखंड सरकार)		
झारखंड उचित मुआवजा और भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास और पुनर्वास के नियम 2015	नियम झारखंड राज्य में परियोजनाओं के निर्माण की वजह से प्रभावित होने वाले लोगों को पुनर्वास और पुनर्वास उपलब्ध करवाता है।	संभावित उप–परियोजनाओं में वांछित भूमि अधिग्रहण की तरह इन नियमों की जरूरत रहती है। उपयुक्त पुनःस्थापित कार्यवाही योजना को परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिये विकसित किया जाता है। इस तरह परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिये उपयुक्त पुनर्वास कार्यवाही योजना विकसित की जाती है।
छोटा नागपुर पट्टेदारी एक्ट, 1908 और इसके साथ संशोधन भी	एक्ट झारखंड में कबीलाई समुदायों/ स्वाभाविक लोगों के अधिकारों के लिये मुहैया होता है। यह गैर–जनजातीय लोगों को जनजातीय भूमि सौंपने से रोकने के लिये लागू होता है।	संभावित उप–परियोजना झारखंड के पहाड़ी इलाके छोटा नागपुर की जनजातीय पट्टी में स्थापित हो सकता है और भूमि अधिग्रहण में सम्मिलित हो सकता है।
संथाल प्रगना पट्टेदारी (अनुपूरक प्रावधान) एक्ट 1949, (एसपीटी एक्ट, 1949)	एक्ट संथाल परगना जैसे दुमका, देवघर, गोडा, पाकुड़, साहिबगंज और जामताड़ा के जिलों के तहत लागू होता है। यह झारखंड राज्य के संथाल कबिले के भूमि अधिकारों का संरक्षित करता है और दोनों जनजातीय और गैर–जनजातीय भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाता है।	उप–प्रॉजेक्टों के मौजूदा समूह संथाल प्रगना इलाके में जनजातीय या गैर–जनजातीय क्षेत्रों में कोई भी भूमि मिलने की कोई आशा नहीं करते। फिर भी, भावी संभावित उप–परियोजना संथाल प्रगना क्षेत्र में हो सकता हैं जहां यह एक्ट लागू हो।
विश्व बैंक की कार्यवाहक नीति		
ओपी/बीपी 1.10: मूलनिवासी लोग	सुनिश्चित करते हुए कि विकास प्रक्रिया मूलनिवासी जनता के सम्मान, मानवीय अधिकारों, आर्थिकता और संस्कृति का पूर्णतः सम्मान करती है, नीति बैंक के गरीबी घटाने और सतत विकास के मिशन में योगदान देती है। इसका प्रयोजन है बैंक द्वारा वित्तपोषित	झारखंड राज्य के 260 ब्लॉकों में से, 112 ब्लॉक पांचवी श्रेणी क्षेत्र के तहत आते हैं (24 में से 15 जिलों में फैला हुआ है)। आवश्यक सुरक्षा प्रस्तावित की जायेगी और परियोजना में मूलनिवासी समुदायों को शामिल करेगा। उनको उप–परियोजनाओं में साथ लिया जा सकता है।

	विकास से मूलनिवासी जनता को फायदा मिलना सुनिश्चित करना और मूलनिवासी जनता पर बुरे प्रभावों को कम करना है। यह उन परियोजनाओं पर लागू होता है जो संभवतः मूलनिवासी जनता पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं या वह जब वह चिन्हित/लक्षित लाभ प्राप्तकर्ता होते हैं।	
ओपी/बीपी 4.12 अनेच्छिक पुनःस्थापन	नीति का मकसद प्रभावित व्यक्तियों को परियोजना के निवेशाों के हिसाब से इस तरह से पुनःस्थापित और पुनर्वासित किया जाये कि उनको बुरे प्रभावों से कम से कम पीड़ित होना पड़े, और कम से कम उनके पूर्ववर्ती जीवन स्तर, कमाने की क्षमता और उत्पादन स्तरों को फिर से बहाल कर सकें या सुधार सकें। हाशियागत या पीड़ित समूहों के जीवन स्तरों के सुधार के लिये खास ध्यान दिया जाता है।	परियोजना के अंतर्गत, प्रस्तावित संरचनागत सुधार की गतिविधियों के लिये ज्यादातर विशेष हालतों में अधिग्रहण की जरूरत होती है और जनभूमि के निवासियों का विस्थापन/सही रास्ते से अनैच्छिक पुनर्वास और रोज़गार खोने का कारण बनता है।

१.४ देश के नियमों और विश्व बैंक सुरक्षा नीति के बीच की दूरी का विश्लेषण

१३. निम्न तालिका में देशों के नियमों और विश्व बैंक सुरक्षा नीति को विस्तार से दिया गया है।

देश के नियम	विश्व बैंक	दूरी का विश्लेषण
उचित मुआवजा और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास एक्ट, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर एक्ट, 2013)	विश्व बैंक की काये सबंधी नीति 4.12	आरएफसीटीएलएआरआर, एक्ट 2013, भूमि अधिग्रहण से 3 साल पहले पट्टेदारों, ग्रामीण दस्तकारों और भूमि पर रह रहे और उस पर निर्भर किसानों के अधिकारों को स्वीकार करता है। जहां, विश्व बैंक जनगणना के तारीख़ पर या किसी अन्य सहमती वाली तारीख पर उस परियोजना के द्वारा सभी परियोजना द्वारा प्रभावितों के अधिकारों को शामिल करता है।
सड़क विक्रेता (सड़क पर बिक्री की सुरक्षा और रोजगार नियमन) एक्ट, 2014	विश्व बैंक की कार्य सबंधी नीति 4.12	सड़क विक्रेता (रोजगार की सुरक्षा और सड़क पर बिक्री का नियमन) एक्ट, 2014, शहरी सड़क विक्रेताओं के सार्वभौमिक विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों में तालमेल के लिए एक समुचित कानून है पर यह लाइसेंड/पंजीकृत और बिना लाइसेंस के/गैर–पंजीकृत में फर्क करता है। विश्व बैंक सुरक्षा नीतियां प्रभावित व्यक्तियों में कोई भी फर्क नहीं करतीं और आय और परिसंपत्ति की क्षति के लिये अनुरूप सहयोग मुहैया करवाती हैं।

१.५ झारखंड म्यूनिसिपल विकास परियोजना के लिये नीति रूपरेखा

१४. देश की कार्यान्वित कानूनी और नीति रूपरेखाओं और विश्व बैंक की सुरक्षा नीति की आवश्यकताओं के उपरोक्त विश्लेषण पर आधारित, इस परियोजना के लिये व्यापक पुनःस्थापित नियम निम्नलिखित होंगेः

क) अधिकतम व्यवहारिक सीमा तक वैकल्पिक रास्तों, मार्गरेखाओं और जगह के चुनाव के जरिये, भौतिक विस्थापन और अनैच्छिक विस्थापन को टालने और/या कम करने के लिये। यह संभव न होने की सूरत में, जहां तक संभव हो सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिये पर्याप्त नियंत्रण उपायों को परिभाषित करें।

ख) उनके भूमि पर कानूनी अधिकारों के बावजूद, सभी प्रभावित व्यक्तियों को खोई हुई संपत्ति और पुनर्वास और पुनर्वास के सहारे, अनैच्छिक पुनर्वास पर विश्व बैंक की नीति और आरएफसीटीएलएआरआर एक्ट 2013 और दूसरे मौजूदा एक्टों और नियमों के बीच दूरी को भरें।

ग) परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी), उनकी संपत्तियों की गणना करने के लिये विस्तृत सामाजिक सर्वेक्षण अपनाना और इस तरह की जनगणना सर्वेक्षण नतीजों पर पात्रता मानदण्ड तैयार करें।

घ) पुनर्वास उनकी आजीविका और जीवन के स्तरों या कम से कम वह स्तर जहां वह परियोजना से पहले थे पर फिर से बहाल करने के सार्वभौमिक उद्देश्य से किया जायेगा।

ङ) परियोजना की जीवन शैली के विभिन्न स्तरों के दौरान विस्तृत समुदायिक भागीदारी और परामर्श के साथ भागीदारी की पहुंच को प्रोत्साहित और बढ़ावा दें।

च) असली निर्माण शुरू होने से पहले मुआवजा/सहायता दिया जाना सुनिश्चत करेंगें।

छ) संरचनागत गतिविधियो को शुरू करने से पहले सीपीआर संरचनाएं जो कि परियोजना द्वारा प्रभावित होती हैं को पुनःस्थापित किया जाता है या क्षतिपूर्ती की जाती है।

ज) सभी आवश्यक पुनःस्थापित गतिविधियों की पूर्ण कीमत, अगर कोई आकस्कमिकताओं और मुद्रास्फीती के लिये प्रावधान है तो, शामिल करते हुए परियोजना की पूर्ण कीमत में शामिल होता है।

झ) प्रत्येक उप परियोजना की निर्धारित तारीख को परिभाषित करते हुए जो जनगणना की शुरूआती तारीख है इस तरह सुनिश्चित करते हुए कि बिना पर्याप्त तसदीक के परियोजना में जनगणना की शुरूआती तारीख के बाद शामिल लोगों को किसी भी सहयोग या क्षतिपूर्ती का अधिकार नहीं दिया जायेगा।

१.६ परिसंपतियों की कीमतों के निर्धारण के लिये पद्धति

१५. आरएफसीटीएलएआरआर एक्ट, 2013 के प्रावधानों के मुताबिक इस परियोजना के तहत अधिग्रहित करने के लिये प्रस्तावित कुल भूमि के लिये क्षतिपूर्ती की जायेगी। ज़मीनों के आलेख, जैसे कि वह निर्धारित तारीख पर दिये गये हैं, ध्यान में लाये जायेंगे। जिला प्राधिकरण आरएफसीटीएलएआरआर एक्ट 2013 के मुताबिक विस्थापन कीमत का निर्धारण करेगा।

१६. जिला प्राधिकरण सुनिश्चित करेगा कि विशेष क्षेत्र में परियोजना के लिये उसी गुणवत्ता और मात्रा की भूमि खरीदने के लिये पर्याप्त है। वृक्षों के लिये क्षतिपूर्ती, वनों, बागवानी या संबंधित अधिकारियों के द्वारा निर्धारित बाज़ार मूल्य पर आधारित होगा। फसल की क्षतिपूर्ती कृषि विभाग के द्वारा निर्धारित की जायेगी और तीन सालों की औसत उपज पर आधारित होगी।

१.७ पात्रता की रूपरेखा की परिभाषाएं

१७. जुडको के ईएसएमएफ के तहत आरएपी के उद्देश्य के लिये, निम्न परिभाषाएं लागू होगीं:

क) **प्रभावित इलाके:** इस तरह के इलाकों को भूमि अधिग्रहण के मकसद से उपयुक्त सरकारी अधिकारी के द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है और जो भूमि उपयुक्त सरकार द्वारा दफ्तरी गजट में अधिसूचना के द्वारा घोषणा के जरिये आरएफसीटीएलएआरआर एक्ट, 2013 के तहत अधिग्रहत की जाती है या जो भूमि सरकार से सबंधित हो को रूकावटों से मुक्त किया जायेगा।

ख) **कृषि भूमि:** मकसद जिनके लिये भूमि का इस्तेमाल किया जा सकता है (1) कृषि या बागवानी (2) डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, मछली पालन, रेश्म के कीड़ों का पालन और पशूओं की सीड फार्मिंग ब्रीडिंग या मेडिसिनल जड़ीबूटियां बनाने के लिये नर्सरी (3) फसलों, वृक्षों, घास और बाग पैदा करने को बढ़ावा देना (4) पशुओं को चराने के इस्तेमाल की जाने वाली भूमि

ग) **गरीबी रेखा के नीचे परिवार:** जैसे कि समय समय पर योजना आयोग (जिसको अब नीति आयोग की तौर पर पुनर्गठित किया गया है) के द्वारा परिभाषित किया गया है और जिनकों तात्कालिक तौर पर बीपीएल सूची में शामिल किया गया है।

घ) **भवन:** मकान, मकान के बाहर और अन्य छत की संरचना भले ही चिनाई, ईंट, लकड़ी, गारा, मेटलर कोई अन्य सामग्री जो भी पर टैंट या अन्य वहनीय और अस्थाई शैल्टर को शामिल नहीं करती।

ङ) **सी. ओ. आई:** परियोजना संरचना के निर्माण और तटबंधों, सुविधाओं और विशेषताएं जैसे सड़कें, निकास नालियां, उपयोगी नलियां और लाइनें, हरी पटिट्यां, सुरक्षा ज़ोन, काम करने की जगह वगैरह के लिये आवश्यक न्यूनतम भूमि की चौड़ाई को दर्शाता है।

च) **अंतिम तिथिः** भूमि धारकों को प्रभावित करते हुए भूमि अधिग्रहण के मामलों में अंतिम तिथि स्थानीय अखबार में भूमि अधिग्रहण आरएफसीटीएलएआरआर एक्ट, 2013 के यू/एस के लिये प्रकाशित अंतिम तिथि होगी।

छ) **कब्जा धारकः** एक ब्यक्ति जो बिना किसी अधिकार के अपने भवन, कृषि भूमि, व्यापारिक जगह या कार्य स्थल को पब्लिक/सरकारी भूमि में बढा ले।

ज) **आयः** पीएपी की आय का मतलब, सभी पेशों को एक साथ लेकर समाजिक–आर्थिक/जनगणना सर्वेक्षण या उद्देश्य मूल्यांकन के द्वारा गणनित या एक उसी पेशे के लिये मौजूद गौण रिसर्च के जरिये, अंतिम तिथि से पहले की रकम होगा।

झ) **भूमिः** ''भूमि'' भूमि के बाहर पैदा हुए फायदों और चीजें जो धरती के साथ स्थाई रूप से जुड़ी हों या उस वस्तु के साथ जो धरती के साथ जुड़ी हो को शामिल करता है।

ञ) **भूमि अधिग्रहण ''या'' ''भूमि का अधिग्रहण'':** आरएफसीटीएलएआरआर, 2013 के तहत भूमि का अधिग्रहण।

ट) **गैर–कृषि श्रमः** एक व्यक्ति जो एक कृषि श्रमिक नहीं है पर अंतिम तिथि तक वह प्रभावित इलाके में या प्रभावित इलाके की घोषणा होने से तुंरत पहले तीन सालों से ज्यादा समय से प्राथमिक तौर पर रह रहा है और वह जो प्रभावित इलाके में अपनी कोई भूमि नहीं रखता है पर शारीरिक श्रम से अपनी आजीविका कमाता है या एक ग्रामीण दस्तकार ऐसी घोषणा से तुरंत पहले और वह जो शारिरक श्रम के जरिये अपनी आजीविका को कमाना खो चुका है या प्रभावित इलाके में इस तरह का दस्तकार।

ठ) **अधिसूचनाः** आरएफसीटीएलएआरआर, 2013 के प्रावधानों के तहत भूमि अधिग्रहण के लिये उपयुक्त सरकार के द्वारा समय समय पर ज़ारी अधिसूचना।

ड) **परियोजना द्वारा प्रभावित परिवार (आरएफसीटीएलएआरआर एक्ट 2013 के द्वारा परिभाषित) :** यह शामिल करता है–

१ एक परिवार जो भूमि या अन्य स्थाई संपत्ति पर कब्जा रखता है;

२ एक परिवार जो भूमि पर मालिकाना हक नहीं रखता पर एक सदस्य या ऐसे परिवारों के सदस्य, कृषि मज़दूर, किसी भी तरह की पट्टेदारी को शामिल करते हुए पट्टेदार, या किसी भी तरह से आमदन भोगने[34] का अधिकार रखता हो, फसलों की उपज हासिल करने वाला या दस्तकार या वह जो अंतिम तिथि पर प्रभावित इलाकों में काम करता हो सकता है जिसका जीवन का प्राथमिक स्रोत भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित होता है।

३ अनुसूचित जनजाति और अन्य रिवायती वनवासी जो अनुसूचित कबिले और अन्य रिवायती वनवासी (वन अधिकारों को स्वीकारना) एक्ट, 2006 के तहत भूमि के अधिग्रहण से किसी भी तरह के वन अधिकारों को खो देते हैं।

४ एक परिवार जिसके रोज़गार का प्राथमिक स्रोत अंतिम तिथि तक या भूमि के अधिग्रहण से तुरंत पहले तीन साल से जंगल या पानी की जगहें होती हैं और यह वन के उत्पादों को इक्ट्ठा करने वाले, शिकारियों, मछली पकड़ने वाले और नाव चलाने वाले और इस तरह की आजीविका जो भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित होता है को शामिल करता है।

५ परिवार का सदस्य जिसको राज्य सरकार के द्वारा या केन्द्र सरकार द्वारा इनकी किसी स्कीम के तहत ज़मीन सौंपी गयी हो और इस तरह की भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत हो।

६ एक परिवार जो शहर में किसी जमीन पर पूर्ववर्ती तीन सालों से रह रहा हो या भूमि के अधिग्रहण से ज़्यादा पहले रह रहा हो या अधिग्रहण से पहले तीन सालों के लिये उसकी आजीविका का प्राथमिक स्रोत ऐसी ज़मीन के अधिग्रहण से प्रभावित हुआ हो।

ढ) **परियोजना से प्रभावित ब्यक्ति (पीएपी) :** कोई भी व्यक्ति जो या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, कानूनी अवस्था से बेलिहाज, परियोजना या परियोजना से संबंधित गतिविधी से प्रभावित होता है, शामिल करता हैः

१ रैयत

२ कब्ज़ा धारक

३ अनाधिकृत निवासी

४ पट्टेदार, लीज़ धारक, फसल का फायदा लेने वाला

५ कर्मचारी, भूमिविहीन मज़दूर

ण) **परियोजना से प्रभावित होने वाला घर (पीएएच) :** एक परिवार और/या ग़ैर–पारिवारीक सदस्य जो साथ रहते हैं को शामिल करते हुए सामाजिक ईकाई जो परियोजना के द्वारा नकारात्मक तौर पर और/या सकारात्मक तौर पर प्रभावित होते हैं।

त) **किरायाः** इस्तेमाल या भूमि के कब्ज़े के हिसाब से या भूमि में किसी अधिकार (जो कानूनी नहीं हो सकता) पर के हिसाब से, कुछ भी जो नकदी में कानूनी तौर पर या आंशिक तौर पर नकदी में और आंशिक तौर पर जहाँ उत्पाद की तय मात्रा या उत्पाद के कुछ हिस्से की किस्म में, परंतु इसमें भूमि राजस्व को शामिल नहीं।

थ) **स्थांतरण कीमतः** किसी भूमि या किसी अन्य परिसंपत्ति की स्थांतरण कीमत उसी भूमि या अन्य परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने/खरीदने के लिये और अन्य कार्यान्वित करों जो प्रभावित ब्यक्ति के द्वारा झेला गया हो के लिये कीमत/मूल्य के बराबर हो; नये आरटीएफसीएलएआरआर एक्ट 2013 के मुताबिक, अतिरिक्त हरजानों के साथ सभी क्षतिपूर्तियों की गणना, प्रभावित परिसंपत्तियों की स्थांतरित कीमत या बाज़ार मूल्य से ज्यादा है।

द) **दुकानः** कोई भी जगह जहां कोई व्यपार और कारोबार किया जाता हो और जहां ग्राहक को सेवा दी जाती हो।

ध) **अनधिकृत निवासीः** एक व्यक्ति जो पब्लिक/सरकारी जमीन, संस्था, ट्रस्ट के साथ जुड़ी जमीन वगैरह पर सैटल हो या कोई अन्य गैर–कानूनी तौर पर रिहायश, कारोबार या किसी अन्य मकसद से और/या बिना प्राधिकरण के भवन/परिसंपति के जमीन पर कब्जा रखा है।

न) **अस्थाई प्रभावः** भूमि और संरचना को प्रभावित करते हुए, धरती के प्रदूषण, थराथराहट और कंपन के रूप में परियोजना के कार्यान्वयन दौरान संभावित प्रभाव।

ऩ) **पट्टेदारः** एक व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की भूमि/संरचना को रखता है/कब्ज़ा रखता है (पर किसी ख़ास संविदा के लिये) और उस भूमि/संरचना के लिये किराया अदा करता है। यह व्यवस्था पूर्वज और वंशजों को पट्टेदार के हित में शामिल करती है पर ज़मीन के मालिक के गिरवी रखने के अधिकार को शामिल नहीं करता या एक व्यक्ति जिसको जायदाद हस्तांतरित की गयी हैं; या एक जगह/खेत में ली गयी जायदाद/जगह भूमि राजस्व के बकाए को या एक वापिस करने योग्य जोड़ वापिस करवाने के लिये; या जो इसको संविदा पर देने के लिये सरकार से लीज़ पर लेता है

प) **प्रभावित परिवारः** प्रभावित परिवार पीएपीः वह हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं, एससी/एसटी, मात्र प्रधान परिवार, शारीरक तौर पर विकलांग व्यक्ति; 60 साल से उपर की उम्र के वरिष्ठ नागरिक।

फ) **दिहाड़ी कमाने वालाः** दिहाड़ी कमाने वाले वह हैं जिनकी आजीविका नियोक्ता के विस्थापन से प्रभावित होती है। एक व्यक्ति अंतिम तिथि से पहले कथित नियोक्ता के साथ न्यूनतम छ महीनों से लगातार आजीविका ज़रूर होना चाहिये और उसकी आजीविका को साबित करने के लिये भरोसेमंद दस्तावेजी सबूत जरूरी होने ही चाहिये।

१.८ संभावित नाकारात्मक प्रभाव

१८. भले ही यह वर्णन किया गया है कि उप–प्रोजेक्ट बहुत आम समाजिक मुद्दों को शामिल करेगा जिनकी व्यवस्था की जा सकती है, यहां कुछ कोर्स में कही गयी उप–परियोजना गतिविधियां हो सकती है, जो उच्च समाजिक खतरे और/या अवरोधों और/या प्रभावों को लाता है। उप परियोजनाओं क्षेत्रों के आस–पास पैदा होने वाले ऐसे मुद्दों की संभावना उप–परियोजना स्क्रीनिंग के दौरान पहचानी जायेगी। निर्माण/पुनर्वास/पुनर्स्थपना के दौर में, मुख्य संभावित समाजिक मुद्दे होते हैं:

क) **निजी भूमि की क्षतिः** 3 उप–परियोजनाओं जिसके लिये इ.एस.आई ए तैयार किया जा रहा है इन परियोजनाओं में कोई भी आम या निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं लिया जा रहा है। लेकिन भविष्य की उपपरियोजनाओं में भूमि अधिग्रहित की जा सकती है।

ख) **संरचना का पुनर्वास करनाः** संरचना, जैसे सड़क पर बेचने वाली स्टालों को शहरी निर्माण और सेवाओं के लिये पाईपों और दूसरे पुर्जो को बिछाने के लिये, हटाने या अलग जगह पर स्थापित करने की जरूरत पड़ सकती है। कथित विक्रेता की सुरक्षा के लिहाज से विक्री स्टालों या छोटे कारोबार को हटाने/विस्थापित करने का बुरा असर पड़ सकता है। इससे उप–परियोजना स्तर पर कार्यवाही की जरूरत हो सकती है।

ग) **सांझी और/या निजी संपति की जनता तक पहुंच का कमीः** निर्माण गतिविधियां जनता तक भूमि या परिसंपतियों की पहुंच को रोक सकतीं हैं। विक्रेता स्टालों को कार्यस्थल के बाहर भेजने की जरूरत पड़ सकती है (जो विक्रेता के ग्राहक आधार को कम कर देता है) ।

घ) **निर्माण के दौरान असुविधाः** वहां निर्माण गतिविधियों के दौरान अस्थाई प्रभाव मिटी, शोर और बड़ा हुआ वाहन ट्रेफिक, और रात के घंटो के समय लाइटिंग का असर होता है।

ङ) **आजिवीका या आजिवीका के स्रोत की क्षतिः** निर्माण के अंतर्गत क्षेत्रों में अनौपचारिक तौर पर काम करने वाले व्यक्तियों और छोटे कारोबार पर नाकारात्मक आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है। असली जगह से हटाये गये विक्रेता या छोटे कारोबार अपनी असली जगह पर फिर वापिस नहीं आ सकते, इस तरह उनकी आमदन पर असर पड़ता है। इसकी बुरे प्रभावों को दूर करने के लिये या कार्यान्वित पुनर्स्थपन उपकरण के तहत आजिविका को बहाल करने की आवश्यकता के लिये कार्यवाही की जरूरत होती है।

१.९ परियोजना के द्वारा प्रभावित ब्यक्ति के लिये पुनर्वास और पुनर्वास के फायदे

१९. पुनर्स्थापन और पुनर्वास के फायदे सभी परियोजना के द्वारा सभी प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) तक विस्तृत किये जाते हैं भले ही वह गरीबी रेखा से नीचे वर्गीकृत हो या नहीं। पात्रता मानदण्ड में जानकारी दी गयी है। जनजाति आबादी को निम्नलिखित सुविधाओं के आबंटन में प्राथमिकता दी जायेगी।

क) अनुसूचित जनजाति में हरेक पीएपी को जमीन की आबंटन में प्राथमिकता मिलेगी।

ख) जनजातीय पीएपी को अपने प्राकृतिक निवास स्थान की जगह के साथ ही सुगठित ब्लॉक में ही पुनः स्थापित कर दिया जाता है ताकी वह अपनी भाषाई/नस्ली और सांस्कृतिक पहचान को बनाये रख सकें।

१.१० पीएपी के लिये पात्रता

२०. निम्न पात्रता मानदण्ड में प्रभावों की विभिन्न श्रेणियों के लिये अधिकारों का वर्णन किया गया है। पात्रता मानदण्ड के नियम विश्व बैंक की आरएफसीटीएलएआरआर, ओपी 4.12 के मुताबिक है। पात्रता मैट्रिक्स निम्न क्रम में विभिन्न प्रभाव श्रेणियों को दर्शाता है।

क) रैयत पर असर जो शामिल करता है

१ जमीन की क्षति

२ रिहाइशी संरचना की क्षति

३ व्यापारिक संरचना की क्षति

ख) रिहाइशी और व्यापारिक पट्टेदारों और लीज़ धारकों पर प्रभाव

ग) गैर–रैयतों पर असर निम्न हैं:

1. रिहाइशी अनाधिकृत
2. व्यापारिक अनधिकृत
3. कब्जा धारक

घ) रैयतों, वृक्षों की क्षति के लिये गैर–रैयतों, पौधों और खड़ी हुई फसलों पर असर

ङ) आजीविका के घाटे के लिये असर

च) प्रभावित वाले परिवारों पर असर

छ) समुदायिक परिसंपति पर प्रभाव

ज) कोई अन्य गैर–परिभाषित असर

२१. तालिका परियोजना के कार्यान्वयन के लिये अधिग्रहण करने के लिये पात्रता मानदंड को दर्शाता है।

श्रेणी (पीएपी)	प्रभावित संपति	पात्रता	अन्य संदर्भ
	भूमि की क्षति	भूमि का अधिग्रहण सक्षम अधिकारी द्वारा RFCTLARR Act, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत होगा।	RFCTLARR Act, 2013 के शैडयूल 1 और 2 के लिंक उपलब्ध करवाए जाएं http://dolr.nic.in/dolr/downloads/pdfs/Right%20to%20Fair%20Compensation%20and%20Transparency%20in%20Land%20Acquisition,%20Rehabilitation%20and%20Resettlement%20Act,%202013.pdf
	रिहायशी ढांचे की क्षति	रिहायशी ढांचे की क्षति के लिए मुआवज़ा RFCTLARR Act, 2013 के प्रावधानों के अनुसान देय होगा।	“
	व्यपारिक ढांचे की क्षति	व्यपारिक ढांचे की क्षति के लिए मुआवज़ा RFCTLARR Act, 2013 के प्रावधानों के अनुसान देय होगा।	“

	पेड़ों, पौधों और खड़ी फसलों पर प्रभाव	मुआवज़ा RFCTLARR Act, 2013 के प्रावधानों के अनुसार देय होगा।	“
	निजी भूमि के किराएदारों पर प्रभाव (रिहायशी / व्यपारिक / कृषि)	सहायता राशि RFCTLARR Act, 2013 के प्रावधानों के अनुसान देय होगी।	“
नॉन–टाईल होल्डर (आबादकार)	रिहायशी ढांचे की क्षति	➢ प्रभावित ढाँचे को गिराने की सूचना एक माह पहले देना ➢ रिहायशी ढाँचे के एवज में अधिकतम लागत ➢ या ➢ बेघर पीएएच को पीएमएवाय / आईएवास के सरकारी प्रावधानों के अनुसार निम्नतम क्षेत्रफल का वैकल्पिक घर देना ➢ या ➢ पीएमएवाय / आईएवास के (प्रादेशिक प्रावधानों के अनुसार) तहत उन सब लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना जिनके पास अंतिम तिथि तक कोई घर उपलब्ध ना हो ➢ एक अर्द्ध–कुशल कामगार को मौजूदा प्रचलित निम्नतम मज़दूरी के बराबर एक महीने का गुज़ारा भत्ता ➢ परिवार, सामान और मवेशियों को स्थानांतरित करने के लिए एकमुश्त 5000 रुपए की आर्थिक सहायता देना।	रिहायशी ढांचे और अन्य अचल संपत्ति की कीमत का आंकलन सरकारी मान्यता प्राप्त अन्य पक्ष अंकेक्षण एजेंसी या सरकारी मान्यता प्राप्त चार्टड इंजीनियर करेगा। पीएपी साथ उपलब्ध पुनर्वास पैकेज में से विकल्प चुनने के लिए विचार–विमर्श किया जाना चाहिए। पुनर्वास के लिए सहायता विस्थापन से पहले लागू प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी।
	व्यपारिक ढांचे और अस्थाई विक्रेता के ठेले / खोखे आदि की क्षति	➢ प्रभावित ढांचे को गिराने की सूचना एक माह पहले देना ➢ प्रभावित व्यापारिक ढांचे के बाज़ार मूल्य के बराबर मुआवज़ा देना ➢ या ➢ पंजीकृत विकेता के लिएः यूएलबी के साथ विचार–विमर्श करके, पीएपी को विक्री क्षेत्रों में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। ➢ सड़क विक्रेता अधिनियम 2014 के अनुसार बिक्री क्षेत्र पंजीकृत विक्रेताओं को उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर ऐसा संभव ना हो तो संबंधित यूएलबी की विक्रेता समिति द्वारा निर्धारित एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ➢ स्थानांतरण के लिए ट्रांसपोर्ट ख़र्च के रूप में एकमुश्त 5000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ➢ एक अर्द्ध–कुशल कामगार को मौजूदा प्रचलित निम्नतम मज़दूरी के बराबर एक महीने का गुज़ारा भत्ता ➢ प्रभावित सामग्री के मलबे / कबाड़ का अधिकार	व्यपारिक ढांचे और अन्य अचल संपत्ति की कीमत का आंकलन सरकारी मान्यता प्राप्त अन्य पक्ष अंकेक्षण एजेंसी या सरकारी मान्यता प्राप्त चार्टड इंजीनियर करेगा।
नॉन–टाईल होल्डर (अवैध कब्ज़ा)	रिहायशी एंव व्यपारिक ढांचे की क्षति रिहायशी ढांचे की क्षति व्यपारिक ढांचे की क्षति	➢ प्रभावित ढांचे को गिराने की सूचना एक माह पहले देना ➢ प्रभावित रिहायशी/व्यापारिक ढांचे के बाज़ार मूल्य के बराबर मुआवज़ा देना ➢ प्रभावित सामग्री के मलबे / कबाड़ का अधिकार समीति	व्यपारिक ढांचे और अन्य अचल संपत्ति की कीमत का आंकलन सरकारी मान्यता प्राप्त अन्य पक्ष अंकेक्षण एजेंसी या सरकारी मान्यता प्राप्त चार्टड इंजीनियर करेगा।
रोज़गार की स्थाई क्षति (आमदन)		➢ स्थाई प्रभाव के मामले में न्यूनत्तम मासिक मज़दूरी 3 महीने तक गुज़ारा भत्ते के तौर पर ➢ प्रभावित परिवार, जिसकी आमदन प्रभावित हुई है, का एक बालिग सदस्य कौशल विकास परिक्षण का पात्र होगा ➢ पंजीकृत विकेता के लिएः यूएलबी के साथ विचार–विमर्श	केवल कृषि मज़दूर जो पूर्णकालिक / स्थाई तौर पर भूमि मालिक के पास काम कर रहे हो या प्रभावित आर्थिक गतिविधि पर पूरी समय के लिए निर्भर हों वहीं इस आर्थिक सहायता के लिए योग्य माने जाएंगे। पीएपी के साथ विचार–विमर्श करके प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का आंकलन किया जाएगा

		करके, पीएपी को बिक्री क्षेत्रों में स्थांतरित किया जा सकता है।	ताकि पीएपी की कुशलता के अनुरूप उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए जा सकें।
रोज़गार (आमदन) की अस्थाई क्षति		निर्माण कार्य की अवधि के दौरान रोज़गार में अस्थाई रुकावट आने पर, व्यवधान की अवधि के दौरान व्यवधान भत्ता दिया जाएगा, जिसका आंकलन अर्द्ध–कुशल कामगार को मौजूदा प्रचलित निम्नतम मासिक मज़दूरी के बराबर दिए जाने वाले गुज़ारा भत्ते के अनुसार होगा।	केवल कृषि मज़दूर जो पूर्णकालिक/स्थाई तौर पर भूमि मालिक के पास काम कर रहे हों या प्रभावित आर्थिक गतिविधि पर पूरे समय के लिए निर्भर हों वहीं इस आर्थिक सहायता के लिए योग्य माने जाएंगे। यह भत्ता निर्माण अवधि के दौरान अधिकतम तीन महीने के लिए दिया जाएगा, जो कि परियोजना की निर्माण अवधि के दौरान उत्पन्न हुए व्यवधान की असल अवधि पर निर्भर होगा।
खड़ी फ़सल को क्षति		➢ प्रभावित किसान को एक माह पहले सूचना देना ➢ अकुशल कामगार को मौजूदा प्रचलित निम्नतम मासिक मज़दूरी के बराबर दिए जाने वाला गुज़ारा भत्ता।	अदायगी कार्य शुरू होने से पहले की जाएगी।
कमज़ोर पीएएच		➢ यह आर्थिक सहायता असुरक्षित पीएएच को मिलने वाली अन्य आर्थिक सहायताओं से अलग प्राप्त होगी। ➢ स्थांतरित होने वाले पीएएच़ को एकमुश्त 10000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ➢ असुरक्षित पीएएचज़ को पुनर्वास प्रक्रिया के दौरान पीएमएवाय हाऊसिंग विक्रता क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाएगी ➢ प्रभावित परिवार, जिसकी आमदन प्रभावित हुई है, का एक बालिग सदस्य कौशल विकास परिक्षण का पात्र होगा।	पीआइयू, एनजीओ के सहयोग से संयुक्त जांच के दौरान परियोजना से प्रभावित होने वाले असुरक्षित व्यक्तियों की संख्या की पहचान करेगा। पीएपी के साथ विचार–विमर्श करके प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का आंकलन किया जाएगा ताकि पीएपी की कुशलता के अनुरूप उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए जा सकें।
सीपीआर	पूजास्थलों, समुदायिक इमारतों, स्कूलों इत्यादि जैसे संयुक्त संपत्ति संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव	स्थानांतरण या पुनर्वास अगर संभव हो तो या उसके एवज़ में वैसा ही ढांचा ईलाके में दोबारा स्थापित करने में आने वाली लागत के बराबर मुआवज़ा	पीआईयू यह सुनिश्चित करेगा कि जैसे भी मामला हो उस हिसाब से ट्रस्टी, संगठन, संस्थान या संबंधित व्यक्ति को मुआवज़ा सौंप दिया जाए।
कार्यान्वियन के दौरान पड़ने वाले अप्रत्याशित प्रभावों का निपटारा पात्रता मानदण्ड के नियमों के अनुसार किया जाएगा।			

१.११ परामर्श ढांचा

२२. परामर्श ढांचा परियोजना की नियोजन और कार्यान्वयन के सभी चरणों में सभी भागीदारों की भागीदारी के संकल्प पर आधारित है। समुदायक भागीदारी उप–परियोजना स्तर पर सुनिश्चित करना परियोजना की ज़िम्मेदारी होगी। समुदायक भागीदारी केवल लोगों से बातचीत तक सीमित नहीं होगी, बल्कि परियोजना की विभिन्न गतिविधियों के बारे में उन्हें संबंधित सूचनाएं बताना भी इसका हिस्सा होगा। समुदायक भागीदारी निम्नलिखित चरणों पर होगी:

क) **उप–परियोजना की पहचान का चरण–** समुदाय को परियोजना और उनकी भूमिका के बारे में जानकारी देना

ख) योजना बनाने का चरण– परियोजना, कार्य होने की समय सारिणी और उसमे शामिल प्रणालियों से संबंधित जानकारी देना, परियोजना के विभिन्न हिस्सों को अंतिम रूप देते हुए उसके प्रभावों, पात्र व्यक्तियों, प्रभावों को कम करने के उपायों और शिकायत निवारण के तरीकों की पहचान करना और

ग) कार्यान्वयन का चरण – निर्माण कार्य के दौरान पड़े अस्थाई प्रभावों का हल निकालना और परियोजना कार्यान्वयन के दौरान पारदर्शिता की निगरानी रखना

१.११.१ पहचान का चरण

२३. इस चरण में परियोजना समुदाय और संबंधित भागीदारों को परियोजना से जुड़ी जानकारियां देगा। बड़े स्तर पर समुदाय को परियोजना के विकल्पों के बारे में जागरूक किया जाएगा और उनकी आवश्यक प्रतिक्रियाएं ली जाएंगी। इसमें उप–परियोजना की पहचान में अपनाई गई प्राथमिकता की प्रक्रिया शामिल होनी चाहिए। जितना संभव हो सके फैसला लेने में सुमदाय और अन्य भागीदारों को उतना ज़्यादा शामिल किया जाए। अनुसूचित क्षेत्र होने के मामले में स्थानीय सरकारी प्रतिनिधि और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि सकिय सिविल सोसायटी संस्थानों की सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। इस चरण में प्राप्त सूचनाओं को दर्ज करना होगा ताकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आने वाले सवालों का जवाब दिया जा सके।

१.११.२ परियोजना के नियोजन का चरण

२४. उपपरियोजना की जानकारी समुदाय में जागरूकता बढ़ाने के लिए और उन्हें उनकी भूमिकाएं और ज़िम्मेदारियां बताने के लिए दी जाएगी। नियोजन के चरण में समुदाय के साथ कम से कम दो चरणों में विचार–विमर्श की प्रक्रिया होनी चाहिए– पहला उपपरियोजना के लिए उचित बेहतरीन विकल्प चुनने का अंतिम फैसला करते समय और दूसरा विस्तृत रचना को अंतिम रूप देते समय। अगर परियोजना बंद कमरे में नहीं बनाई जा रही है तो यह करना रचना तैयार कर रहे परामर्शियों की संयुक्त ज़िम्मेदारी होगी।

२५. एसआईए की शर्तों और आरएपी बनाने के लिए समुदाय/लाभपात्रियों के साथ विचार–विमर्श करना और/या परियोजना से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों और उनकी प्रोफाईलिंग करना आवश्यक है। विस्तृत रचना के हिस्से के तौर पर इस प्रक्रिया को सामाजिक–आर्थिक और जनगणना सर्वे के अनुरूप पूरा करना आवश्यक है। इस संबंधी और सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, सभी विकल्पों के लिए एसआईए के हिस्से के तौर और चुने गए वैकल्पिक उपपरियोजना विकल्प के बारे में विचार–विमर्श करना होगा। परियोजना प्रभावित क्षेत्र में विलक्षण गुणों वाली अनुसूचित जनजातियों की मौजूदगी होने के मामले में उपपरियोजना डिज़ाईन पर समुदाय का सामूहिक सहयोग प्राप्त करने के लिए मुक्त, पूर्व सूचना देकर विचार–विमर्श की प्रक्रिया अपनानी होगी। संभावित प्रभावाधीन समुदायों जिनमें एससी/एसटी, महिलाएं शामिल हों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

१.११.३ कार्यान्वयन का चरण

२६. कार्यान्वयन चरण पर विचार–विमर्श कार्यान्वयन ऐजेंसी और समुदाय/लाभपात्रियों और/या परियोजना प्रभावित व्यक्तियों से संबंधित संस्थाओं के मध्य सीधी बातचीत के रूप में होगा। इसमें पीएपी के स्थानांतरण, सांस्कृतिक संपत्तियों के स्थानांतरण

और जलाशयों, धार्मिक महत्व के स्थानों, सामुदायिक ईमारतों, पेड़ों आदि जैसे सामूहिक संपत्ति संसाधनों पर हुए प्रभावों के हल निकालने के बारे में विचार विमर्श होगा।

२७. पुनर्वास के प्रगतिधीन प्रावधानों के कार्यान्वयन के साथ विचार–विमर्श और सूचनाएं देने के कार्य में सुमदायों/लाभपात्रियों और/या प्रभावित व्यक्तियों को प्रगति की सूचना देना शामिल होगा। कार्यन्वयन चरण में पुनर्वास और पुनर्वास के पहलुओं के साथ–साथ सामूहिक संपत्ति संसाधनों के स्थानांतरण से संबंधित शिकायतों का निवारण, शिकायत निवारण ढांचे के ज़रिए करना, भी शामिल होगा। इसके तहत शिकायतों का निवारण आम तौर पर परियोजना के लिए बनाई गई शिकायत निवारण कमेटियों से समुदायों/लाभपात्रियों और/या प्रभावित व्यक्तियों की सीधी मुलाकात के ज़रिए होगा।

१.११.४ सूचना वितरित/घोषित करना

२८. सूचना संबंधी सामग्री और समुदायक परामर्श सभाओं के दस्तावेज़ जैसे सूचना प्रदान करने के उपकरण सभी के लिए उपलब्ध होंगे। सूचना देने वाली सामग्री (जो पूरी की पूरी स्थानीय भाषा में बनाई जाएगी) निम्नलिखित किस्मों की हो सकती हैः

- क) विवरण पुस्तिका (जिसमें परियोजना की जानकारी, परियोजना के लाभ, अगर कोई संभावित प्रतिकूल प्रभाव पड़ने हों उनकी जानकारी और मिलने वाले मुआवज़े एवं पीएपी को मिलने वाले सहयोग सहित पात्राताओं की विस्तृत जानकारी दर्ज हो) जिसे स्थानीय सरकारी संस्थान (शहरी क्षेत्र में नगर निगम कार्यालय और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत कार्यालय) के कार्यालय और परियोजना के कार्यालय में रखा जाएगा;
- ख) प्रमुख स्थानों पर इश्तिहार लगाना; और
- ग) उपपरियोजना के प्रभावित क्षेत्र में पर्चे बंटवाना

२९. परियोजना के द्वारा नियमित अवधि पर विचार–विमर्श बैठकें आयोजित की जानी चाहिए ताकि सुमदाय/लाभपात्री और/या पीएपी निम्नलिखित बातों को जान सकें:

- क) परियोजना के विभिन्न पड़ावों की समय सारिणी और प्रगति;
- ख) प्राप्त होने वाले लाभों/प्रतिकूल प्रभावों; मुआवज़े और लाभपात्रता की जानकारी;
- ग) परियोजना पूरी होने की समय सारिणी

३०. यह सूचनाएं घोषित करने की नीति, गोपनीयता के लिए स्थाई कारणों की अनुपस्थिति में, परियोजना की गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं आम लोगों तक पहुंचाने के मकसद से बनाई गई है। जानकारी समयबद्ध और नियमित रूप से सभी भागीदारों, प्रभावित समूहों और आम लोगों को प्रदान की जाएगी। परियोजना से संबंधित और परियोजना के दौरान सृजित सूचनाएं और दस्तावेज़ लोगों को उपलब्ध होने से परियोजना और इसके साथ होने वाली गतिविधियों की पादर्शिता, जवाबदेही और वैधता बढ़ेगी। इस घोषणा नीति के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, वैधानिक आवश्यकताओं के तहत आने वाले दस्तावेज़ों को छोड़ कर, सभी दस्तावेज़ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होंगे। इस नीति के अनुरूप समयबद्ध और सम्पूर्ण जानकारी देने के लिए नियुक्त किया गया एक सूचना अधिकारी ज़िम्मेदार होगा।

१.११.५ घोषित की जाने वाली सूचना

३१. निम्नलिखित जानकारियां घोषित की जानी चाहिए:

- क) परियोजना से संबंधित जानकारी प्रत्येक निर्माण स्थल पर लगाए गए सार्वजनिक सूचना बोर्ड के ज़रिए उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।
- ख) निर्माण स्थल के साथ–साथ कार्यान्वयन ऐजेंसी के कार्यालय और परियोजना के कार्यालय प्रभारी के पास परियोजना की जानकारी देने वाली विवरण पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।
- ग) जैसा उचित समझा जाए सार्वजनिक वितरण के लिए रिपोर्टें और प्रकाशनाएँ बनवाई जानी चाहिए जैसे कि एसआईए और आरएपी अंग्रेज़ी में और एसआईए और आरएपी कार्याकारी सारांश स्थानीय भाषा में वितरित किए जा सकते हैं।
- घ) जहाँ पर भी सिविल कार्य चल रहा होगा, वहाँ पर सार्वजनिक सूचना के लिए बोर्ड लगाया जाएगा जो आम लोगों को आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा ताकि विस्तृत सामाजिक जवाबदेही को बढ़ावा मिल सके।
- ङ) सारी जानकारी का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जाएगा और पंचायतों, ज़िला मैजिस्ट्रेट कार्यालयों, संबंधित परियोजना कार्यालयों, जुडको की वेबसाईट के ज़रिए सार्वजनिक तौर पर वितरित की जाएगी।

सारिणी 2: घोषित की जाने वाली जानकारी, बारम्बारता और स्थान

विषय	वितरित की जाने वाले दस्तावेज़	बारम्बारता	स्थान
पुनःस्थापन, पुनर्वास और भूमि अधिग्रहण	आरएपी	परियोजन अवधि में एक बार, लेकिन परियोजना की पूरी अवधि के दौरान वेबसाईट और अन्य घोषणा स्थानों पर उपलब्ध रहेगा।	➢ विश्व बैंक की इन्फोशॉप ➢ जुडको की वेबसाईट ग्राहक विस्थापित व्यक्तियों और स्थानीय एनजीओ की पहुंच वाले स्थानों पर, पीएपी के लिए सुविधाजनक रूप, तरीके और भाषा में आरएपी निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध करवाएगाः i. डीएम कार्यालय ii. ज़िला पुस्तकालय iii. स्थानीय निगम और iv. ग्राम पंचायत कार्यालय v. संवेदक के कैम्प vi. परियोजना कार्यालय
	पुनर्वास एवं पुनर्वास नीति का स्थानीय भाषा में अनुवाद	परियोजना की पूरी अवधी के दौरान एक बार	परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) में वितरण
	परियोजना से पड़ने वाले प्रभावों और पात्रताओं के बारे में स्थानीय भाषा में जानकारी	परियोजना की शुरूआत के समय एक बार और जब भी पीएपी द्वारा मांग की जाए	पीएपी से सीधे मुलाकात करके; समुदायिक विचार–विमर्श के दौरान; आईए कार्यालय और परियोजना की वेबसाईट पर प्रभावित और पात्रता वाले पीएपी की सूची चिपकाई जानी चाहिए।
	आर एंड आर एवं भूमि अधिग्रहण/स्थानांतरण मासिक प्रगति रिपोर्ट	हर महीने के दसवें दिन	परियोजना की वेबसाईट; आईए और संवेदक के कार्यालय में स्थानीय भाषा में मुद्रित प्रति उपलब्ध हो
	शिकायत निवारण प्रक्रिया	परियोजना की पूरी अवधी के दौरान लगातार जारी रहनी चाहिए	जुडको की वेबसाईट पर। क्लाइंट विस्थापित व्यक्तियों और स्थानीय एनजीओ की पहुँच वाले स्थानों पर, पीएपी के लिए सुविधाजनक रूप, तरीके और भाषा में आरएपी निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध करवाएगाः vii. डीएम कार्यालय viii. ज़िला पुस्तकालय ix. स्थानीय निगम और x. ग्राम पंचायत कार्यालय xi. संवेदक के कैम्प xii. परियोजना कार्यालय
जन परामर्श	औपचारिक जन परामर्श की सभाओं की कार्यवत्त	सभा के दो हफ्तों में	जुडको की वेबसाईट पर। क्लाइंट विस्थापित व्यक्तियों और स्थानीय एनजीओ की पहुँच वाले स्थानों पर, पीएपी के लिए सुविधाजनक रूप, तरीके और भाषा में आरएपी निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध करवाएगाः 1. डीएम कार्यलय 2. जिला पुस्तकालय 3. स्थानीय निगम और 4. ग्राम पंचायत कार्यलय 5. संवैदक के कैंप

			6. परियोजना कार्यलय

१.११.६ शिकायत निवारण ढांचा

३२. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (जीआरसी) का गठन प्रदेश और यूएलबी स्तर पर होगा और जहां भी निवेश होगा या योजना बनाई जाएगी, परियोजना के कार्यान्वयन से पहले इसे स्थापित किया जाएगा।

३३. इसका मकसद प्रभावित समुदाय की परियोजना के पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं से जुड़ी उन चिंताओं, सवालों, शिकायतों और समस्याओं को सुनना और दूर करना होगा जो कार्यान्वयन के समय सामने आ सकती हैं। इसके साथ ही उपपरियोजना के कार्यान्वयन हो जाने के बाद इसका मकसद सामाजिक एकसुरता और एकजुटता से जुड़े अन्य सामाजिक मसलों पर गौर करना भी होगा। जुडको के जीआरएम में सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए निम्नलिखित साधन शामिल होंगे:

- सार्वजनिक स्थानों पर पर्चे बांटना
- नोटिस बोर्ड
- जुडको की वेबसाईट
- टेलिकम्यूनिकेशन उपकरण

३४. उप परियोजना निदेशक (जूडको, पीएमयू) की ज़िम्मेदारी होगी कि प्रत्येक उपपरियोजना से जुड़ी गतिविधियों से संबंधित सभी शिकायतों के प्रबंधन के लिए कारगर बहु–स्तरीय जीआरएम स्थापित करना सुनिश्चित करवाए। जीआरएम दो स्तरों पर काम करेगाः सामुदायिक स्तर पर जहाँ समस्याओं को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा; उप परियोजना स्तर पर जहाँ शिकायत निवारण समिति स्थापित की जाएगी और प्रदेश स्तर पर अपील ढांचा बनाया जाएगा। जहां पर भी किसी व्यक्ति को किसी विशेष गतिविधि से संबंधित शिकायत होगी तो वहां या परियोजना स्तर का जीआरसी बनाया जाएगा जिसमें एक महिला सदस्य सहित कुल पांच सदस्य होंगे।

- एक सदस्य यूएलबी/कार्यान्वयन ऐजेंसी से
- कोई भी एक मनोनीत प्रतिनिधि (परियोजना क्षेत्र से स्थानीय ब्यक्ति)(महिला को प्राथमिकता दी जाए)
- महिला समख्या/महिला मंडल जैसे महिलाओं के समुदायक समूह की प्रतिनिधि
- (परियोजना के क्षेत्र में) जाना पहचाना व्यक्ति जिसे स्थानीय लोग स्वीकार करते हों जो उनकी तरफ से बात रख सके (यूएलबी के चुने हुए प्रतिनिधि उसकी पहचान करेंगे।)
- पीआईयू से सामुदायिक विकास अधिकारी
- यूएलबी स्तर का सामुदायिक संगठक या मुख्य नगर निगम अधिकारी का प्रतिनिधि

३५. पीएपी को शिकायत के क्षेत्र के बारे में स्पष्टता से बताना होगा। निर्माण कार्य से संबंधित गतिविधियां जो रोज़गार को प्रभावित करें या संपत्ति/सुविधाओं को नुकसान पहुँचाए या पहुंच में बाधा उत्तपन्न करें, और संचालन एवं रख–रखाव की अवधि के दौरान सेवाओं की गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतें केवल शिकायत निवारण समिति द्वारा ही ली जाएंगी। भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें केवल झारखंड के भ्रष्टाचार–विरोधी कानूनों के अंतर्गत ली जाएंगी।

३६. पीएपी (या उसका प्रतिनिधि) निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, जिसमें लिखित पत्र, फ़ोन और जीआरसी को ईमेल करना शामिल है या परियोजना स्टाफ़ के साथ सार्वजनिक एवं निजी बैठकों के दौरान वह अपनी आवाज़ उठा सकता है। प्रत्येक परियोजना निर्माण स्थल पर स्थानीय भाषा में एक सरल शिकायत पत्र मौजूद होगा जिसे शिकायतकर्ता भर सकता है। जीआरसी से सपंर्क करने के लिए जानकारी नीचे दी जा रही हैः

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (जीआरसी)
झारखंड शहरी आधारभूत ढांचा विकास कंपनी लि. (जुडको)
तीसरा तल, प्रगति सदन
कचहरी चौक
रांची 834001
झारखंड
दूरभाषः 0651–2243203

ईमेलः grc.jmdp.juidco@gmail.com

३७. जीआरसी मिलकर समुदायिक स्तर पर शिकायत निवारण करने की कोशिश करेगा और आम तौर पर शिकायत मिलने के 7 से 10 दिन में अपनी सिफ़ारिश देगा। अगर 10 दिन बाद तक कोई फैसला नहीं होता तो पीएपी अपनी शिकायत डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर (जुडको, वर्ल्ड बैंक पीएमयू) को भेज सकता है। डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर (जुडको, वर्ल्ड बैंक पीएमयू) अपील समिति की अध्यक्षता करेगा, जो शिकायत की समीक्षा करके उसका निवारण 20 दिन के अंदर करेगी। इस बात पर गौर करना चाहिए कि कुछ जटिल शिकायतों को हल करने में ज़्यादा समय लग सकता है। उदाहरण के लिए भूमि से जुड़े विवाद। जमा की गई सभी शिकायतों और समस्याओं को उपपरियोजना के स्तर पर पंजीकृत किया जाएगा और इन्हें जुडको–जेएमडीपी पीआईयू के डाटाबेस में शामिल किया जाएगा, जिसे जुडको–जेएमडीपी द्वारा लगाए गए स्टाफ़ द्वारा नियमित तौर पर अपडेट किया जाएगा। उपरोक्त बताए गए ढाँचे के अलावा पीएपी को देश की न्यायपालिका के पास जाने का अधिकार होगा।

१.११.७ पुनर्वास प्रभावों के निपटान के लिए संस्थागत व्यवस्था

३८. परियोजना रांची और अपनी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के प्रबंधन, तालमेल और निगरानी के लिए ज़िम्मेदार संबंधित यूएलबी में विशेष टीमें नियुक्त करेगी।

३९. रांची में स्थित स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) सामजिक सुरक्षा उपाय करने के लिए ज़िम्मेदार होगी। अपनी–अपनी यूएलबी में परियोजनाओं के प्रतिदिन के कार्यान्वयन के ज़िम्मेदार पीएमयू की कुशल चुनी हुई विकेंद्रित टीमों को पीएमयू सहयोग करेगा। परियोजना से संबंधित सुरक्षा पहलुओं के तालमेल, समीक्षा, सहयोग और निगरानी के लिए पीएमयू सामाजिक और पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करेगा। यह विशेषज्ञ पीआईयूज़ और कार्यान्वयन संस्थानों में मौजूद विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने और उनकी क्षमता को मज़बूत करने का काम भी करेंगे। परियोजना पुनर्वास कार्य योजना और सामाजिक जागरूकता के लिए योग्य सिविल सोसायटी संस्थाओं को भी ले सकती

१.११.८ निगरानी और रिर्पोटिंग

४०. पीआईयू, कार्यान्वयन ऐजेंसियों और डिज़ाईन एवं निरीक्षण परामर्शियों द्वारा होने वाली नियमित निगरानी/निरीक्षण के हिस्से के तौर पर इसके साथ–साथ अंदरूनी पर्यावरणीय सामाजिक निगरानी भी की जाएगी। पीआईयू सीएसक्यूसी और कार्यान्वयन ऐजेंसियां सभी उप–परियोजनाओं के आरएपी के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी करेंगी। पीआईयू आरएपी के कार्यान्वयन का मासिक प्रगति प्रतिवेदन पीएमयू को जमा करेंगी। पीएमयू इन–हाऊस पर्यावरण एवं सामाजिक विशेषज्ञों की मदद से उप–परियोजनाओं के सुरक्षा उपायों के पालन का तिमाही पर्यावरणीय एवं सामाजिक निरीक्षण करेगा।

४१. उपपरियोजनाओं के पुनर्स्थापन कार्य योजना के कार्यान्वयन का बाहरी मूल्यांकण इस काम के लिए विशेष रूप से रखे गए अंकेक्षण परामर्शियों से भी करवाया जाएगा। परियोजना के कार्यान्वयन से पैदा होने वाले पर्यावरणीय एवं सामाजिक मसलों के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए यूएलबी स्तर पर हर तिमाही में एक बार संबंधित विभागों और दूसरे भागीदारों के साथ भागीदार परामर्श कार्यशाला का अयोजन किया जाएगा।